

न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का बननाम
.....
.....


प्रकरण अर्न्तगत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या :-

निर्णय दिनांक :- 16/6/2022

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम
की आ.ख.न. 125 कुल रकबा 0-68 किस्म जमीन गिण्डा में से 0.02
रकबे पर श्री जोसेफ अमन सिंह पि० अतरसिंह पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर
.....
..... कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक
..... को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद
भू.अ.निरी. के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया
जाकर अतिक्रमी जोसेफ अमन सिंह पि० अतरसिंह जाति निवासी को भू.
राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील
कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी
..... उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबवा आ.ख.न. 125 रकबा 0-68 में से 0.02
रकबे किस्म गिण्डा है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा वॉरसायस को अतिक्रमित
रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं दण्ड स्वरूप लगान 37 Paise का
50 गुणा 190 रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांवा कायमी हेतु टीआरए को लिखा
जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी भू.अ.निरी.
..... को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में
सुनाया गया।


तहसीलदार (अलवर)
तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज.)